(31)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

कैलाश चन्द्र शर्मा

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
32/2019/प्रा.पत्र/2019	20.05.2019	01.08.2019

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1– श्री रूपेश कुमार जैन पुत्र पदमचन्द जैन विक्रेता मैसर्स कमल एण्ड ब्रदर्स बस स्टैण्ड नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0 निवासी कटला बाजार वार्ड नं. 6 नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0

2– मैसर्स कमल एण्ड ब्रदर्स बस स्टैण्ड नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0

3–श्री शकंरलाल गोयल प्रोपराइटर मैसर्स भगवती ट्रेडर्स सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0

4– मैसर्स भगवती ट्रेडर्स सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0

5–श्री रामलाल जाट प्रोपराइटर मैसर्स अष्ट विनायक फूड प्रोडक्ट्स 19–20 उधोग नगर सरना डूंगर झोटवाडा जयपुर

6– मैसर्स अष्ट विनायक फूड प्रोडक्ट्स 19–20 उधोग नगर सरना डूंगर झोटवाडा जयपुर

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–अप्रार्थी स्वंय उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 01:08.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.10.2018 को समय 12.20 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स कमल एण्ड ब्रदर्स बस स्टैण्ड नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0पर पहुंचां। एफ.बी.ओ. की हैसियत से श्री रूपेश कुमार जैन पुत्र पदमचन्द जैन विकेंता मैसर्स कमल एण्ड ब्रदर्स बस स्टैण्ड नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0 निवासी कटला बाजार वार्ड नं. 6 नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का विकेता. होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु दुकान मे **इडिबल वेजिटेबल ऑयल रिफांइड पाम ऑयल श्री रस किचन स्पेशल ब्राण्ड (Edible Vegitable Oil Regined Palm Oil Shree Rass Kitchen Special Brand)** जिसके बैच नं.11 ए वी/6 व पैकिंग दिनांक जून 2018 थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री रूपेश कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता रूपेश कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे 499–499 ग्राम के 75 मूल पैक डिब्बे गत्ते के कार्टनो **इडिबल वेजिटेबल ऑयल रिफांइड पाम ऑयल श्री रस किचन स्पेशल ब्राण्ड (Edible Vegitable Oil Regined Palm Oil Shree Rass Kitchen Special Brand)** मे से 4 मूल डिब्बे (पैकेट) को ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड मूल पैक वास्ते आम जनता को विकय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री रूपेश कुमार जैन को रू0 240/–अक्षरे दो सो चालीस रूपये

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **इडिबल वेजिटेबल ऑयल रिफांइड पाम ऑयल श्री रस किचन स्पेशल ब्राण्ड (Edible Vegitable Oil Regined Palm Oil Shree Rass Kitchen Special Brand)** 4 मूल डिब्बे (पैकेट) को ज्यो का त्यो को चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बो के ढक्कन को नियमानुसार एयरटाईट बंद कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–1979 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1979 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. रूपेश कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।खाध पदार्थ का नमूना कय करने के बाद दिनांक 24.10.2018 को कार्यालय मे उपस्थित होकर श्री रूपेश कुमार जैन ने **इडिबल वेजिटेबल ऑयल रिफांइड पाम ऑयल श्री रस किचन स्पेशल ब्राण्ड (Edible Vegitable Oil Regined Palm Oil Shree Rass Kitchen Special Brand)**बतोर वारन्टी मैसर्स भगवती ट्रेडर्स सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0 का खरीद बिल कमांक/इन्वॉइस नं. 417 दिनांक 23.10.2018 की छायाप्रति प्रति पेश की। मैसर्स भगवती ट्रेडर्स सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0 ने मैसर्स मैसर्स अष्ट विनायक फूड प्रोडक्ट्स 19–20 उधोग नगर सरना डूंगर झोटवाडा जयपुर का बिल कमांक 819 दिनांक 23.10.2018 के वारंटी बिल की छायाप्रति प्रेषित की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./18/3030 दिनांक 27.11.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1729/एक्टं/2018/406 दिनांक 15.11.2018 अनुसार रूपेश कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **इडिबल वेजिटेबल ऑयल रिफांइड पाम ऑयल श्री रस किचन स्पेशल ब्राण्ड (Edible Vegitable Oil Regined Palm Oil Shree Rass Kitchen Special Brand)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **इडिबल वेजिटेबल ऑयल रिफांइड पाम ऑयल श्री रस किचन स्पेशल ब्राण्ड (Edible Vegitable Oil Regined Palm Oil Shree Rass Kitchen Special Brand)** का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **इडिबल वेजिटेबल ऑयल रिफांइड पाम ऑयल श्री रस किचन स्पेशल ब्राण्ड (Edible Vegitable Oil Regined Palm Oil Shree Rass Kitchen Special Brand)** का विकय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

(मुहर: न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक)

Scanned by CamScanner

हमने बहस पर मनन किया व पंत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया इडिबल **वेजिटेबल ऑयल रिफांइड पाम ऑयल श्री रस किचन स्पेशल ब्राण्ड Regined Palm Oil Shree Rass Kitchen Special Brand) (Edible Vegitable Oil (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 अप्रार्थी श्री रूपेश कुमार जैन पुत्र पदमचन्द जैन विकेंता मैसर्स कमल एण्ड ब्रदर्स वस स्टैण्ड नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0 निवासी कटला बाजार वार्ड नं. 6 नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0 पर शास्ती 5,000/– (अक्षरे पांच हजार रू0) अप्रार्थी श्री शकंरलाल गोयल प्रोपराइटर मैसर्स भगवती ट्रेडर्स सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0 पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) अप्रार्थी श्री रामलाल जाट प्रोपराइटर मैसर्स अष्ट विनायक फूड प्रोडक्ट्स 19–20 उधोग नगर सरना डूंगर झोटवाडा जयपुर पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। । अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संवंधित मद में निर्णय दिनांक 01.08.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner